न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या– 64 / 2012–13

श्री किशन लाल

–बनाम–

श्री प्रेम सिंह आदि

उपस्थिति : **श्री सुभाष कुमार, आई0ए0एस0 अध्यक्ष।**

बावत
मौजा आरकेडियाग्रान्ट, परगना परवादून
जनपद देहरादून।

आदेश

यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र निगरानी संख्या–08 / 2011–12 प्रेम सिंह आदि बनाम किशन लाल में पारित निर्णयादेश दिनांक 30–04–2013 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सर्वे नायब तहसीलदार द्वारा प्रपत्र–6 भाग–2 पर किशन लाल का नाम आदेश दिनांक 20–07–2009 से दर्ज किए जाने के कारण निगरानीकर्तागण प्रेमसिंह आदि द्वारा सहायक अभिलेख अधिकारी, देहरादून के न्यायालय में अपील अन्तर्गत धारा–27(3) / 54 भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत की गई जो सहायक अभिलेख अधिकारी, देहरादून द्वारा निर्णयादेश दिनांक 21–05–2012 से निरस्त की गई जिसके विरूद्व निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। निगरानी इस न्यायालय के निर्णयादेश दिनांक 30–04–2013 से स्वीकार कर सहायक अभिलेख अधिकारी, देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–05–2012 एवं सर्वे नायब तहसीलदार द्वारा प्रपत्र–6 भाग–2 पर पारित आदेश दिनांक 20–07–2009 निरस्त किये गये। इस आदेश के पुनर्विलोकन हेतु यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अधिवक्ता प्रार्थी / पुनर्विलोकनकर्ता का तर्क है कि आदेश दिनांक 30–04–2013 के पैरा–5 का में यह तर्क कि प्रतिपक्षी किशन लाल एवं रामप्रसाद द्वारा अपने हिस्से की भूमि पूर्व ही विक्रय की जा चुकी थी, नायब तहसीलदार द्वारा दर्ज विरासत त्रुटियुक्त है साक्ष्य के विपरीत है। वादग्रस्त भूमि के मालिक ब्रजलाल व किशनलाल व राम प्रसाद पुत्रगण नानूराम थे तथा प्रत्येक 1 / 3 भाग के मालिक थे। ब्रजलाल का देहान्त हो गया और उनके वारिस निगरानीकर्तागण प्रेमसिंह आदि हैं व रामप्रसाद का भी लावल्द देहान्त हो गया जिनके वारिस धारा–171 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत सगे भाई ब्रजलाल व उसके वारिस किशनलाल हैं। गाटा संख्या–1668 रकबा 0.0490 है0 तथा 1669 रकबा 0.2110 है0 पर परगनाधिकारी के आदेश दिनांक 28–01–98 से आबादी किशनलाल व बृजलाल व रामप्रसाद घोषित की गई थी। खसरा नम्बर 1668 रकबा 0.0490 में से अपना 1 / 2 भाग

मानकर यानि रामप्रसाद के 1/3 भाग में से अपना 1/2 भाग मानकर विक्रय पत्र से प्रेमसिंह आदि के पिता बृजलाल ने रमेश सिंह नेगी को विक्रय कर दिया तथा रमेश सिंह नेगी ने अपना क्रय हिस्सा शीला देवी को विक्रय कर दिया। आबादी के गाटा संख्या–1668 रकबा 0.0490 है0 भूमि केवल बृजलाल द्वारा विक्रय की गई है तथा अपना 1/2 भाग मानकर 0.0250 है0 भूमि विक्रय की गई है। प्रेमसिंह आदि का आबादी के नम्बर में कोई हिस्सा नहीं है। गाटा संख्या–1668 आबादी के नम्बर में 1/2 भाग के मालिक व काबिज किशनलाल का स्थल पर मकान, बिजली का कनेक्शन स्थित है। खतौनी फसली 1387 से 1392 में केवल गाटा संख्या– 1669 में से किशनलाल पुत्र नन्दू का नाम उसके 1/3 भाग से विक्रय पत्र के अनुसार निरस्त करके धर्म सिंह पुत्र रामचरण का नाम दर्ज किया गया है। आबादी के गाटा संख्या–1668 से किशनलाल का नाम निरस्त नहीं किया गया है। गाटा संख्या–1669 रकबा 0.2110 है0 में से 0.0480 है0 भूमि रामप्रसाद ने बाबूराम को विक्रय की है। भागानुसार गाटा संख्या–1669 में रामप्रसाद पुत्र नन्दू का 0.0223 है0 रकबा शेष है जिसके वारिस किशनलाल व बृजलाल के लड़के प्रेमसिंह आदि हैं। आबादी के गाटा संख्या–1668 में निगरानीकर्तागण प्रेमसिंह आदि पुत्रगण बृजलाल का कोई भाग नहीं है, उनके पिता बृजलाल ने सगे भाई रामप्रसाद के 1/3 भाग का भी आधा भाग तथा अपना भाग विक्रय कर दिया है। उक्त 1/2 भाग में से 1/2 भाग यानि 0.0250 है0 की स्वामी श्रीमती शीला देवी हैं तथा गाटा संख्या–1668 रकबा 0.0490 है0 में से 1/2 भाग के मालिक किशनल लाल पुत्र नन्दू है। अधिवक्ता पुनर्विलोकनकर्ता द्वारा पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिनांक 30–04–2013 निरस्त कर प्रकरण पुनः गाटा संख्या–1668 एवं गाटा संख्या–1669 में परीक्षण एवं स्पष्ट आदेश हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया।

अधिवक्ता प्रतिपक्षी का तर्क है कि निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30–04–2013 पक्षकारों को सुनकर गुणदोष के आधार पर पारित किया गया है। प्रार्थी किशनलाल द्वारा जो नये तथ्य पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत किये गये हैं वह सम्पूर्ण वाद की कार्यवाही में प्रस्तुत नहीं किये गये थे जिस करण कथित पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र भी प्रार्थी द्वारा विरचित कथनों से बाहर है जिन्हें पत्रावली में ग्रहीत नहीं किया जा सकता। पत्रावली में प्रस्तुत खतौनी को देखने से प्रतीत होता है कि रामप्रसाद व किशनलाल द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा एवं अंश विक्रय किया जा चुका है तथा सम्पत्ति आबादी में दर्ज की जा चुकी है जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में विधिक रूप से विवेचित नहीं की जा सकती है। विधि का यह भी प्रतिपादित सिद्धान्त है कि पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में नये साक्ष्यों एवं दस्तावेजों की समीक्षा नहीं की जा सकती है तथा ना ही उक्त दस्तावेज पत्रावली में ग्रहीत किये जा सकते हैं। पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र मात्र इस आधार पर प्रस्तुत किया जा सकता है कि कथित निर्णय में त्रुटियां प्रथमदृष्टया परिलक्षित दृष्टिगोचर होती है अन्यथा किसी नये आधार एवं दस्तावेजों को प्रस्तुत कर कथित निर्णय में परिवर्तन किया जाना विधिक रूप से सम्भव नहीं है। पुनर्विलोकन

प्रार्थना पत्र में मात्र लिपिकीय त्रुटि को ही सुधारा जा सकता है। पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र विधिक रूप से पोषणीय नहीं एवं खारिज होने योग्य है।

अधिवक्ता पक्षकारों की लिखित बहस एवं पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र तथा अधिवक्ता पुनर्विलोकनकर्ता की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का भी सम्यक अध्ययन किया गया। पूर्व में निगरानी में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिवक्ता पक्षकारों की बहस सुनने के पश्चात गुणदोष के आधार पर निर्णयादेश दिनांक 30–04–2013 पारित किया गया था, परन्तु पुनर्विलोकनकर्ता द्वारा इस न्यायालय के संज्ञान में कुछ नये तथ्य एवं अभिलेख दृष्टिगत किये गये हैं। अभिलेखों एवं तथ्यों के अवलोकन से यह गाटा संख्या–1668 एवं 1669 में कुछ भाग पक्षकारों द्वारा विक्रय किया गया है एवं कुछ भाग पर मौके पर आबादी भी बनी हुई है। पुनर्विलोकनकर्ता किशनलाल द्वारा भी वादग्रस्त भूमि के बावत बिजली का बिल एवं राशन कार्ड आदि भी इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि मौके पर कुछ हिस्से पर उनकी भी आबादी बनी हुई है। उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखों के दृष्टिगत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुरूप पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पूर्व पारित आदेश दिनांक 30–04–2013 निरस्त कर निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण पुनः उपरोक्त वादग्रस्त भूमि/गाटा तथा अभिलेखों के परीक्षण हेतु विद्वान सहायक अभिलेख अधिकारी, देहरादून को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित होगा।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में पुर्नर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं निगरानी संख्या–08/2011–12 प्रेमसिंह आदि बनाम किशनलाल में पूर्व पारित आदेश दिनांक 30–04–2013 निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः विद्वान सहायक अभिलेख अधिकारी, देहरादून को इस आशय से प्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि के बावत अभिलेखों का पुनः परीक्षण कर पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए वाद संख्या– 96/2011–12 अन्तर्गत धारा–27(3)/54 भू–राजस्व अधिनियम प्रेमसिंह आदि बनाम किशनलाल आदि का गुणदोष के आधार पर शीघ्र निस्तारण करें। इसके अतिरिक्त श्रीमती शीला देवी पत्नी जितेन्द्र तिवारी द्वारा इस न्यायालय में पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 29–01–2014 प्रस्तुत किया गया है। अवर न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रार्थिनी श्रीमती शीला देवी को भी वाद में पक्षकार बनाते हुए वाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण करें। सभी पक्षकार अवर न्यायालय में चाराजोही करें।

दिनांकः 16 अगस्त, 2014

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष,
राजस्व परिषद।